राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1119/2025, 1120/2025 सागरमल बनाम नानगराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 1119/2025 एवं 1120/2025 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
23/03/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10/07/2023 पारित करते हुये आराजी खसरा नम्बर 1382 रकबा 6.9168 हैक्टेयर वाके ग्राम काबरो का बॉस प.ह. रलावता भू.अ.नि. क्षेत्र बधाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुरूप मौके के कब्जे काश्त अनुसार व राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार एवं रास्ता दर्शाते हुये उभयपक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये तहसीलदार को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री 08/05/2024 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10/07/2023 के विरुद्ध अपील संख्या 1120/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08/05/2024 के विरुद्ध अपील संख्या 1119/2025 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है। अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो के अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की अनुपालना राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सागरमल बनाम नानगराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय पारित किये गये है, जिनमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही हो रही है | सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य विभाजन एक अनिवार्य प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर अनावश्यक निरस्त किया जाना अथवा लम्बित रखा जाना उचित नही समझा जाता है | चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री के माध्यम किया गया विभाजन न्यायसंगत एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्रीयो में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08/08/2023 व 10/07/2023 एवं अन्तिम निर्णय दिनांक 08/05/2024 यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश: 1119/2025 एवं 1120/2025 ख़ारिज की जाती है |

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर